

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)****MADHYA PRADESH. GWALIOR****प्रशा.-12/वेतन/****दिनांक:22-05-2025****कार्यालय आदेश/Office Order – 33**

मुख्यालय के अनुभागीय कार्यालय आदेश संख्या- वा.ले.प.-I/प्रशासन/120 दिनांक 30-12-2024 तथा इस कार्यालय के पदस्थापना कार्यालय आदेश क्र. 11/स-7/व.ले.प.अ. (वाणी.)/का.आ./134 दिनांक 21-01-2025 के अनुपालन में श्री राजकुमार सिंह परमार का वेतनमान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/वाणिज्य (लेवल-10, ₹56,100-1,77,500) के पद पर उनकी पदोन्नति के पश्चात CCS(RP) Rules, 2016 के Rule-13 और श्री परमार द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है-

In accordance with Headquarters' Sectional Order संख्या- वा.ले.प.-I/प्रशासन/120 दिनांक 30-12-2024 and this office's Joining Order क्र. 11/स-7/व.ले.प.अ. (वाणी.)/का.आ./134 दिनांक 21-01-2025, the pay of the Shri Rajkumar Singh Parmar, who has been promoted to the post of Sr. Audit Officer/Commercial (Level -10, Pay Scale ₹ 56,100-1,77,500), is fixed as per Rule-13 of CCS (RP) Rules, 2016 and on basis of option submitted by him as under-

क्र.	नाम पदनाम एवं स्थायी क्रमांक	घटना	दिनांक	वेतन लेवल	वेतन	नियम
1.	श्री राजकुमार सिंह परमार Shri Rajkumar Singh Parmar व.ले.प.अ. (वाणिज्य)	वार्षिक वेतन वृद्धि	01-01- 2024	लेवल-09	₹ 87,700	के.सि. सेवा (पु.वे.) नियम, 2016 के
		व.ले.प.अ. पद पर पदोन्नति तथा विकल्प के अनुसार DNI से वेतन निर्धारण कार्यग्रहण दिनांक 31-12-2024	31-12- 2024	लेवल-10	₹ 90,000	नियम 10 एवं 13 सहपठित डीओपीटी के कार्या. ज्ञापन दिनांक 27.07.2017 के पैरा 3 एवं वित्त मंत्रालय के कार्या. ज्ञापन दिनांक 28.11.2019 के पैरा 6 के अनुसार
		वार्षिक वेतन वृद्धि	01-01- 2025		₹ 95,500 <u>DNI-</u> <u>01-07-2025</u>	

--	--	--	--	--	--	--

(उप-महालेखाकार/प्रशासन के आदेश से जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12
(पेंशन एवं पे फिक्सेशन सेल)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. उपनिदेशक/लेखापरीक्षा वित्त एवं संचार, एनेक्सी, संचार भवन, बी.एस.एन.एल. कम्पाउन्ड, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
2. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) प्रथम म.प्र. ग्वालियर।
3. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए., को इस आशय के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या 183-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर./01.2022 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/03/2015-Estt. (Pay-I) 18/03/2015 दिनांक 03.10.2022 के बिन्दु 5(ii) के अनुपालन में यह वेतन निर्धारण आदेश जारी होने के 03 माह के भीतर यदि वेतन निर्धारण में कोई विसंगति है तो इस अनुभाग को तत्काल सूचित करें।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को Internet/Intranet/Website संबंधी कार्य हेतु।
6. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12,13 एवं 14
7. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ./प्रशासन-14 को Internet/Intranet संबंधी कार्य हेतु।
8. श्री राजकुमार सिंह परमार, व.ले.प.अ./वाणिज्य
9. गार्ड फाइल।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12
(पेंशन एवं पे फिक्सेशन सेल)